प्रपत्र सं० - 1

(1)

परियोजना का नामः— राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में लोहारी सिल्ली बन्ड कनस्यारी मोटर मार्ग का निर्माण।

प्रतिवेदन

शासनादेश संख्या 5423 / 111(2) / 10—18 (प्रा.आ.) / 2010 दिनांक 27.10.2010 द्वारा राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विकास खंड गरूड़ में धैना—लखनी मोटर मार्ग से लोहारी सिल्ली बन्ड से कनस्यारी तक 5.00 कि0मी0 मोटर मार्ग निर्माण (प्रथम चरण) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति रू0 63.00 लाख के लिए प्रदान की गयी है। (शासनादेश की प्रमाणित् फोटो प्रति संलग्न है।)

राज्य योजना में जनपद बागेश्वर में गरूड़—धैना—लखनी मोटर मार्ग लम्बाई 5.00 कि.मी. के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गयी थी जिसमें भारत सरकार के पत्रांक 8बी / 09 / 876 / एफसी. / 99 दिनांक 21.10.99 द्वारा विधिवत् स्वीकृति एवं शासनादेश संख्या जी.आई. जी.आई.—22 / 7—1—2000 / 600 / 96 दिनांक 22.12.2000 द्वारा 4.202 हैक्टेयर वनभूमि हस्तान्तरण आदेश उपरान्त निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सिमार कुमरौड़ा कनस्यारी मोटर मार्ग लम्बाई 5 कि.मी. के लिए स्वीकृति प्रदान की गयी थी जिसमें भारत सरकार के पत्रांक 8बी / यू.सी.पी. / 2245 / 09 / 2000 / एफ.सी. / 195 दिनांक 19.06.2001 द्वारा विधिवत् स्वीकृति एवं शासनादेश संख्या जी. आई.—247 / 7—1—2001 / 600 / 2000 दिनांक 30.06.2001 द्वारा 3.45 हैक्टेयर वनभूमि हस्तान्तरण आदेश उपरान्त निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। स्वीकृत मोटर मार्ग गरूड़ धैना लखनी मोटर मार्ग के कि.मी. 1 के हिल साईड की ओर प्रस्तावित किया गया है जो सिल्ली, अमोली, मटेना, सेलखोला, जिनखोला, धौपा, पन्याली एवं बन्ड होते हुए कुमरौड़ा कनस्यारी में मिल जाता है। सर्वेक्षण उपरान्त इस मार्ग की कुल लम्बाई 8.200 कि0मी0 आती है। भारत सरकार की नीति के अनुसार सम्पूर्ण लम्बाई का एक ही प्रस्ताव गठित किया जा रहा है। शेष लम्बाई की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति वन भूमि स्वीकृति उपरान्त शासन से प्राप्त कर ली जायेगी।

विकास खंड, गरूड़ को जिला मुख्यालय से जोड़ने के लिए गोमती नदी के एक ओर बागेश्वर—गरूड़—कौसानी—अल्मोड़ा एकमात्र मोटर मार्ग निर्मित है। गरूड़ में विकास खंड एवं तहसील मुख्यालय है। क्षेत्र का मुख्य बाजार, कई शिक्षण संस्थान, अस्पताल, थाना आदि गरूड़ में होने से जनसंख्या घनत्व बढ़ने के कारण उक्त मार्ग पर अक्सर जाम लग जाता है जिससे आने जाने वाले वाहनों, पर्यटकों एवं चिकित्सा वाहनों को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। गोमती नदी के दूसरी ओर लोहारी तल्ली, जनसंख्या (128), अमोली (340) कनेड़ी (91) सिल्ली (777) मटेना (579) सेलखोला (81) जिनखोला (374) धौपा (02) पल्याली (227) एवं बन्ड (303) अभी किसी मोटर मार्ग से नहीं जुड़े हैं। यातायात के साधन न होने से अधिकारी कर्मचारी इस दूरस्थ क्षेत्र में आना नहीं चाहते। साथ ही सीमित कृषि भूमि होने के कारण ग्रामीणों का मुख्य व्यवसाय कृषि, पशुपालन एवं बागवानी है। स्थानीय जनता को अपने दैनिक उपभोग की वस्तुओं को धोड़े व खच्चरों के माध्यम से लाना पड़ता है। ढुलान व्यय अधिक होने से इसका विपरीत असर गरीब जनता की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। इस मोटर मार्ग का निर्माण हो जाने से उपरोक्त गांवों की जनता को परिवहन एवं यातायात की सुविधा होगी साथ ही यह मार्ग गरूड़ तहसील मुख्यालय के लिए बाईपास मोटर मार्ग का कार्य भी करेगा जिससे गरूड़ बाजार में लगने वाले जाम से निजात मिलेगी एवं पर्यटकों, यात्रियों को आने जाने में हो रही कठिनाई से निजात मिलेगी। चिकित्सा एवं शिक्षा के स्तर में सुधार होगा, गांवों का विकास होगा; युवाओं के लिए नये रोजगार के अवसर स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध हो सकेंगे जिससे उनका शहरों की ओर पलायन रूकेगा। मोटर मार्ग का निर्माण Vertical cutting कर किया जाना है अतः Horizontal width 7 मीटर रखते हुए भूमि अधिगृहण

(1A)

प्रस्तावित किया गया है। प्रभावित होने वाले वृक्षों की गणना 7 मीटर चौड़ाई के अन्दर वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों के अनुसार ही की गयी है।

विस्तृत सर्वेक्षण उपरान्त इस मार्ग के निर्माण हेतु 2 संरेखणों पर विचार किया गया है जिन्हें प्रस्ताव में संलग्न इन्डैक्स मानचित्र में अलग–अलग रंग से दर्शाया गया है। साथ ही भारत सरकार के नवीनतम निर्देशों के अनुसार डिजिटल एवं गगुल मैप भी अनुमोदित संरेखण को दर्शाते हुए प्रस्ताव में लगाये गये है।

संरेखण संख्या 1 जो लाल रंग से दर्शाया गया है, के अनुसार मोटर मार्ग का निर्माण गरूड़ धैना लखनी मोटर मार्ग के कि0मी0 1 से प्रस्तावित किया गया है। इसके अनुसार सम्पूर्ण मोटर मार्ग नाप एवं सिविल सोयम भूमि में प्रस्तावित है जिसमें बहुत कम वृक्ष प्रभावित हो रहे है। अधिक से अधिक गांव लाभान्वित हो रहे हैं। मानकों के अनुसार ग्रेड मिलता है एवं ग्रामवासी भी सहमत है।

संरेखण नं0 2 जो हरे रंग से दर्शाया गया है, के अनुसार मोटर मार्ग का संरेखण उक्त मार्ग के कि.मी. 2 से रखा गया है जिसमें प्रारम्भ में सिविल सोयम एवं उसके बाद काफी अधिक भाग आरक्षित भूमि में आता है। इस संरेखण में अधिक वृक्ष प्रभावित होते है एवं मानकों के अनुसार ग्रेड भी सही नहीं आता है। इसके अनुसार मोटर मार्ग निर्माण करने में मात्र कुछ ही परिवारों को लाभ होता है। इसके अनुसार मोटर मार्ग निर्माण करने में ग्रामवासी भी सहमत नहीं है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए संरेखण नं. 2 को निरस्त कर संरेखण नं. 1 को अनुमोदित किया गया है। इन दोनों संरेखणों का भूवैज्ञानिक द्वारा भी निरीक्षण किया गया है एवं उनके द्वारा **संरेखण नं. 1** को मोटर मार्ग निर्माण हेतु तकनिकी, पर्यावरणीय एवं भूगर्भीय दृष्टि से उपयुक्त पाया गया है। अतः 8.200 कि.मी. लम्बाई में न्यूनतम आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 7 मीटर चौड़ाई में आने वाली 1.747 हैक्टेयर वन भूमि को गैरवानिकी कार्य हेतु प्रत्यावर्तित करने एवं 185 वृक्षों के पातन की स्वीकृति प्रदान कर लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत यह प्रस्ताव गठित कर प्रेषित् किया जा रहा है।

सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

प्रपत्र स·3

(2)

संख्या–5423 /III(2)/10–18(प्रा0आ0)/2010

प्रेषक

प्रदीप सिंह रावत,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

मुख्य अभियन्ता स्तर–1,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2

देहरादूनः दिनांकः 27 अगस्त, 2010

विषयः– राज्य के विभिन्न 05 विधानसभा क्षेत्रों के अन्तर्गत प्रस्तावित 46 कार्यो की वित्तीय एवं प्रशासकीय तथा व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता, गढवाल क्षेत्र/कुमायूँ क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी/अल्मोड़ा के द्वारा विभिन्न पत्रों के माध्यम से उपलब्ध कराये गये आगणनों के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, गढवाल क्षेत्र/कुमायूँ क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी/अल्मोड़ा के द्वारा संलग्न विवरणानुसार उपलब्ध कराये गये 46 कार्यो, के निर्माण पर प्रशासकीय अनुमोदन देते हुए प्रथम चरण के अन्तर्गत प्रक्रियात्मक कार्यो यथा विस्तृत आगणन का गठन, वन भूमि हस्तान्तरण, भू–अधिग्रहण, यूटीलिटी शिफ्टिग, मृदा परीक्षण, भू–वैज्ञानिक की रिपोर्ट, कन्सलटैन्सी आदि मदों, के लिये टी0ए0सी0 वित्त द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई धनराशि रू0 519.24 लाख (रू0 पॉच करोड़ उन्नीस लाख चौबीस हजार मात्र) पर प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 में प्रति कार्य रू0 0.01 लाख अर्थात कुल रू0 0.46 लाख (रू0 छियालीस हजार मात्र) के व्यय किये जाने की महामहिम श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

2– उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यो को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त उक्त सन्दर्भित शासनादेश स0:– 1764/III(2)/10–17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

3– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शैड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नही हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

4– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि मे बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

5– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यो को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

6– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

7– स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्यौरमेन्ट रूल्स–2008 एवं उक्त के विषय में समय–समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

8– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश स0:– 2047/XIV–219(2006) दिनांक 30–05–2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

9– स्वीकृत किये जा रहे कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का संपूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

10– इस संबंध मे होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2010–11 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0–22–लेखाशीर्षक–5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय –04 जिला तथा अन्य सड़के –आयोजनागत –800–अन्य व्यय–03 राज्य सेक्टर– 02 नया निर्माण कार्य–24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

11– यह आदेश वित्त अनुभाग–2 के अशासकीय संख्या–386 / XXVII/(2)/2010 दिनांकः 27 अगस्त, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

(प्रदीप सिंह रावत)
उप सचिव

संख्याः–5423 (1)/ III(2)/10–18(प्रा0आ0)/2010 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2– आयुक्त, गढ़वाल / कुमायूँ मण्डल, पौड़ी / नैनीताल।
3– सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4– सम्बन्धित मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
5– मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल / कुमायू क्षेत्र, लो.नि.वि., पौड़ी / अल्मोड़ा।
6– निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7– वित्त अनुभाग–2 / वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन।
8– सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड।
9– लोक निर्माण अनुभाग–1 / 3 उत्तराखण्ड शासन ।
10– गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(प्रदीप सिंह रावत)
उप सचिव

फोटो प्रति प्रमाणित

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0 नि0 वि0
बागेश्वर

शासनादेश सं0 5123 (1)/ III(2)/ 10--18(प्रा0आ0)/2010 दिनांक 27 अगस्त, 2010 का संलग्नक

क्र0 सं0	कार्य का नाम	लम्बाई किमी0 में	टी0ए0सी0 द्वारा अनुमोदित लागत लाख में	वित्तीय वर्ष 2010--11 में व्यय हेतु स्वीकृत धनराशि (लाख में)
01	02	03	04	05
1--	जनपद पिथौरागढ में विधानसभा क्षेत्र डीडीहाट के अन्तर्गत टनकपुर तवाघाट मोटर मार्ग के रणगांव से हचीला गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण	2.00	25.20	0.01
2--	जनपद पिथौरागढ में विधानसभा क्षेत्र डीडीहाट के अन्तर्गत चर्मा जौरासी मोटर मार्ग के किमी0 4 से अजेडा गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण	1.00	12.60	0.01
3--	जनपद पिथौरागढ में विधानसभा क्षेत्र डीडीहाट के अन्तर्गत चर्मा जौरासी मोटर मार्ग के किमी0 9 से दुर्लेख तक मोटर मार्ग का निर्माण	1.00	12.60	0.01
4--	जनपद पिथौरागढ में विधानसभा क्षेत्र डीडीहाट के अन्तर्गत सेरा सुनाली से हरड़ कटिया तक मोटर मार्ग का निर्माण	3 km +2 bridge	41.16	0.01
5--	जनपद पिथौरागढ में विधानसभा क्षेत्र डीडीहाट के अन्तर्गत अल्मोड़ा बेरीनाग अस्कोट राज्य मार्ग के किमी0 128 से लैपार्थी से देवली तक मोटर मार्ग का निर्माण	2.00	25.20	0.01
6--	जनपद पिथौरागढ में विधानसभा क्षेत्र डीडीहाट के अन्तर्गत हाट से लघड़ा तक मोटर मार्ग का निर्माण	5.00	65.52	0.01
7--	जनपद पिथौरागढ में विधानसभा क्षेत्र डीडीहाट के अन्तर्गत बुधनियाखान (लदातड़) से जमतड़ तक मोटर मार्ग का निर्माण	1.00	12.60	0.01
8--	जनपद पिथौरागढ में विधानसभा क्षेत्र डीडीहाट के अन्तर्गत डीडीहाट भनड़ा मोटर मार्ग के किमी0 2 से जाख धौलेत तक मोटर मार्ग का निर्माण	2 km + 1 bridge	27.72	0.01
9--	जनपद पिथौरागढ में विधानसभा क्षेत्र डीडीहाट के अन्तर्गत पमतोड़ी भातड़ मोटर मार्ग के किमी0 7 से चनकना तक मोटर मार्ग का निर्माण	2.00	25.20	0.01
10	जनपद उधमसिंहनगर में विधानसभा क्षेत्र बाजपुर में राज्य योजना के अन्तर्गत पहाड़पुर में सी0सी0 मार्ग का निर्माण	0.20	0.03	0.01
11	जनपद उधमसिंहनगर में विधानसभा क्षेत्र बाजपुर में राज्य योजना के अन्तर्गत ग्राम बाजपुर में परमजीत आदि के घरों की ओर से केशोंवाला गांव बाजपुर रोड की ओर से सी0सी0 मार्ग का निर्माण	0.25	0.03	0.01
12	जनपद उधमसिंहनगर में विधानसभा क्षेत्र बाजपुर में राज्य योजना के अन्तर्गत बाजपुर के ग्राम हरिपुरा में विभिन्न स्थानों में अवशेष सी0सी0 मार्ग का निर्माण	1.00	0.15	0.01
13	जनपद उधमसिंहनगर में विधानसभा क्षेत्र बाजपुर में राज्य योजना के अन्तर्गत ग्राम हरसान में विभिन्न स्थानों में अवशेष सी0सी0 मार्ग का निर्माण	1.00	0.15	0.01
14	जनपद उधमसिंहनगर में विधानसभा क्षेत्र बाजपुर में राज्य योजना के अन्तर्गत ग्राम दयोहरी में विभिन्न स्थानों में अवशेष सी0सी0 मार्ग का निर्माण	0.60	0.09	0.01
15	जनपद उधमसिंहनगर में विधानसभा क्षेत्र बाजपुर में राज्य योजना के अन्तर्गत चंदनपुरा में सी0सी0 मार्ग का निर्माण	0.80	0.12	0.01

16	जनपद उधमसिंहनगर में विधानसभा क्षेत्र बाजपुर में राज्य योजना के अन्तर्गत ग्राम बिरहा में सी0सी0 मार्ग का निर्माण	0.25	0.03	0.01
17	जनपद उधमसिंहनगर में विधानसभा क्षेत्र बाजपुर में राज्य योजना के अन्तर्गत ग्राम बरहैनी में विभिन्न स्थानों में अवशेष सी0सी0 मार्ग का निर्माण	1.00	0.15	0.01
18	जनपद उधमसिंहनगर में विधानसभा क्षेत्र बाजपुर में राज्य योजना के अन्तर्गत ग्राम बासखेडी में विभिन्न स्थानों में अवशेष सी0सी0 मार्ग का निर्माण	0.80	0.12	0.01
19	जनपद उधमसिंहनगर में विधानसभा क्षेत्र बाजपुर में राज्य योजना के अन्तर्गत गुलजारपुर मार्ग का प्राईमरी स्कूल से जंगल तक पुनः निर्माण	3.50	0.53	0.01
20	जनपद उधमसिंहनगर में विधानसभा क्षेत्र बाजपुर में राज्य योजना के अन्तर्गत गुलजारपुर जगतपुर मार्ग का पुनः निर्माण	4.00	0.60	0.01
21	जनपद उधमसिंहनगर में विधानसभा क्षेत्र बाजपुर में राज्य योजना के अन्तर्गत बेरिया रोड से सूरी फार्म होते हुए चकरपुर रोड की ओर मार्ग निर्माण	1.50	0.23	0.01
22	जनपद उधमसिंहनगर में विधानसभा क्षेत्र बाजपुर में राज्य योजना के अन्तर्गत गणेशपुर से बाजावाला लंकुरा होते हुए रम्पुराकाजी तक मार्ग का पुनः निर्माण	5.10	0.77	0.01
23	जनपद बागेश्वर में दयोनाई-कोहिना मोटर मार्ग के कन्डेश्वर मंदिर से थाकला तक मोटर मार्ग का निर्माण (प्रथम चरण)	1.00	12.60	0.01
24	जनपद बागेश्वर में दयोनाई-कोहिना मोटर मार्ग के हरबगड से भिटाकोट सिगपुर तक मोटर मार्ग का निर्माण।	3.00	37.80	0.01
25	जनपद बागेश्वर में कौसानी भतडियां मोटर मार्ग से बामडी-कटूव से रतमटिया, कौलाग, खडरिया लिंक मोटर मार्ग का निर्माण।	3.00	37.80	0.01
26	जनपद बागेश्वर में बागेश्वर अमस्यारीकोट मोटर मार्ग से नदीगांव तक गोमती नदी किनारे 1 किमी0 लिंक मोटर मार्ग।	1.00	12.60	0.01
27	जनपद बागेश्वर में मण्डलसेरा से धिरौली तक लिंक मोटर मार्ग (प्रथम चरण)	1.00	12.60	0.01
28	जनपद बागेश्वर में धैना-लखनी मोटर मार्ग से धौना तक मो0 मार्ग (प्रथम चरण)	2.00	25.20	0.01
29	जनपद बागेश्वर में धौना-लखनी मोटर मार्ग से लोकरी सिल्ली बैन्ड से कनस्यारी तक मोटर मार्ग का निर्माण। (प्रथम चरण)	5.00	63.00	0.01
30	जनपद बागेश्वर में पतक्वैराली मोटर मार्ग के सैडतोक से भुमकाधार तक मोटर मार्ग का निर्माण (प्रथम चरण)	2.00	25.20	0.01
31	जनपद बागेश्वर में बागेश्वर काण्डा मोटर मार्ग के कम्पास तोक मनकोट से तल्लामनकोट तक लिंक मोटर मार्ग (प्रथम चरण)	2.00	25.20	0.01
32	जनपद पौडी गढवाल में विधानसभा क्षेत्र कोटद्वार के अन्तर्गत रामपुर रोड से नाथूपुर ट्यूबवेल संख्या 21 तक सडक निर्माण हाटमिक्स	0.90	11.34	0.01
33	जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र रामनगर में लक्खनपुर मार्ग से हिम्मतपुर ब्लॉक नं0 1 की गली का निर्माण।	1.00	0.25	0.01
34	जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र रामनगर में ग्राम ढेला में श्री आनन्द पन्त जी के घर से श्री बची सिंह के घर तक सी0सी मार्ग का निर्माण।	0.80	0.20	0.01
35	जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र रामनगर में लक्खनपुर में तरसैम लाल भाटिया के घर से अमरीक सिंह के घर तक मार्ग का निर्माण।	1.50	0.38	0.01

(6)

36	जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र रामनगर में पीरूमदारा में पुरानी राईस मिल से जीत सिंह के घर तक मार्ग।	1.00	0.25	0.01
37	जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र रामनगर मे हिम्मतपुर ब्लॉक में सक्खनपुर मार्ग पर इस्लाम फातमा के घर से बिशन सिंह के घर तक एवं कुलदीप सिंह के खेत से भूपेन्द्र सिंह आदि के घर तक।	2.80	0.70	0.01
38	जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र रामनगर में ग्राम पंचायत कमोला हल्द्वानी रामनगर मार्ग से कशरी नदी के किनारे होते हुए कमोला तक सम्पर्क मार्ग।	1.20	0.30	0.01
39	जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र रामनगर में तुमडिया डाम सी0 सी0 /पी0 सी0	1.00	0.25	0.01
40	जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र रामनगर में चिल्किया सन्दपुर मार्ग से विजय बिष्ट के घर से होते हुए नई बस्ती चिल्किया (अनु0 जाति बस्ती) तक मार्ग का निर्माण।	1.00	0.25	0.01
41	जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र रामनगर में छोई जगन्नाथपुर मार्ग से कमलजीत सिंह सन्धु के घर तक मार्ग का निर्माण।	1.50	0.38	0.01
42	जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र रामनगर में ग्राम सभा धनपुर के अन्तर्गत हल्द्वानी रामनगर मोटर मार्ग से ग्राम रूपदेवपुर तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण।	1.00	0.25	0.01
43	जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र रामनगर मेंएन0 एच0 121 से श्री तेजपाल रावत के घर तक मार्ग निर्माण।	1.00	0.25	0.01
44	जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र रामनगर में हल्दुआ पीपलसाना थारी मार्ग के किमी0 01 चण्डी मन्दिर से ललितपुर तक मार्ग निर्माण।	1.60	0.40	0.01
45	जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र रामनगर में हल्दुआ पीपलसाना मार्ग के किमी0 02 हुकुमसिंह के घर होते हुए बेरिया तक मार्ग निर्माण।	1.25	0.31	0.01
46	जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र रामनगर में पाटकोट से बमनगाँव तक मार्ग का पुनः निर्माण।	3.00	0.93	0.01
	योग:–		519.24	0.46

(कुल छियालीस हजार मात्र)

(प्रदीप सिंह रावत)
उपसचिव।

कोटी० प्रति० कार्यवाही

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0 नि0 वि0
बागेश्वर

परिशिष्ट
(देखिय नियम–6)

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा–2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

भाग–1
(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

क.सं.	परियोजना विवरण :–	
1	क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव / परियोजना / स्कीम का संक्षिप्त विवरण।	**राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में लोहारी सिल्ली बन्ड कनस्यारी मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 8.200 कि0मी0**
	ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस–पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।	संलग्न है।
	ग) परियोजना की लागत।	रू0 63.00 लाख (प्रथम चरण हेतु) वन भूमि स्वीकृति उपरान्त शासन द्वारा निर्माण कार्य हेतु वित्तीय स्वीकृति जारी की जायेगी। (शासनादेश की प्रति प्रस्ताव में संलग्न है)
	घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।	अन्य वैकल्पिक संरेखण न होने के कारण मार्ग को वन भूमि में प्रस्तावित किया गया है। विस्तृत विवरण प्रतिवेदन में दिया गया है।
	ड.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिए)	प्रस्ताव 5 हैक्टेयर से कम का है। अतः लागू नहीं है।
	च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।	मार्ग निर्माण के दौरान लगभग 160 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्र में ही नये रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे जिससे युवाओं का शहरों की ओर पलायन रूकेगा।
2	कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण:	सिविल सोयम भूमि– 1.747 है0 **कुल वन भूमि – 1.747 है0** नाप भूमि – 3.993 है0 **कुल भूमि :– – 5.740 हैक्टेयर** (कच्चा ग्रामीण मोटर मार्ग निर्माण हेतु)
3	परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई हों, क) परिवारों की संख्या	आवश्यकता नहीं है। लागू नहीं है।
	ख) अनुसूचित जाति / जनजाति के परिवारों की संख्या	लागू नहीं है।
	ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)	आवश्यकता नहीं है।
4	क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है ? (हां / नही)	मोटर मार्ग कच्चा निर्मित होना है। अतः पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत मंजूरी की आवश्यकता नहीं है।

(8)

5	प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ–साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनवद्धता (वचनवद्धता संलग्न की जाये)	सामान्य नियमों के अन्तर्गत दुगुने सिविल सोयम भूमि में वनीकरण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव की धनराशि सम्मिलित करते हुए क्षतिपूरक वनीकरण आंगणन/मानचित्र एवं प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर उचित वृक्षारोपण हेतु आंगणन वन विभाग से तैयार करा कर प्रस्ताव में संलग्न किया गया हैं जिसका व्यय लोक निर्माण विभाग द्वारा बहन करने सम्बन्धी बचतबद्धता भी प्रस्ताव में संलग्न है।
6	निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावजेजों का व्यौरा।	अनुकमणिका सूची के अनुसार सभी प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न हैं एवं हस्ताक्षरित है।

दिनांक 15/07/13

स्थान– बागेश्वर

सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

प्रपत्र · 2.1

(9)

प्रस्ताव की कम संख्या...

(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाऐगा

भाग– II

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य कम संख्या.........

क.सं.	विवरण	
7	परियोजना / स्कीम का स्थान	**राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में लोहारी सिल्ली बन्ड . कनस्यारी मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 8.200 कि0मी0**
i)	राज्य / संघ शासित क्षेत्र	उत्तराखंड
ii)	जिला	बागेश्वर
iii)	वन प्रभाग	बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर
iv)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	1.747 हैक्टेयर
v)	वन की कानूनी स्थिति	सिविल सोयम भूमि।
vi)	हरियाली का घनत्व	0.2
vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए)। सिंचाई / जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ0आर0एल0 – 8 मी0 पर परिगणना भी संलग्न किए जाए।	सूची पृ0सं0 17 पर संलग्न है।
viii)	भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदन शीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।	भू-क्षरण की सम्भावना नहीं है।
ix)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	लगभग 1 कि0मी0
x)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कारीडोर आदि का भाग है (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणीयॉ अनुबन्धित की जाए)	संलग्न है।
xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ / संकटापन्न / विशिष्ट प्रजातियॉ पाई जाती है यदि हां / तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।	— no —
xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय / पारम्परिक स्थल / रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है, यदि हॉ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण–पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, या	— n —
8	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग–1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं, तो जांचे गए विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	— n —
9	क्या अधिनियम के उल्लघंन में कोई कार्य किया गया है (हॉ / नहीं) यदि हॉ, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें तथा उल्लघंन सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहे हैं।	— n —

(10)

10	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौराः–	
i)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस–पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू–खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू–खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू–खण्ड का आकार।	सलग्न है।
ii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस–पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	—"—
iii)	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण, कार्यान्वियन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढाचा आदि।	हरड़ आवला तेजपात बांज उतीस बेरोल आदि
iv)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्ययँ।	586482.0 रू मात्र
v)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण–पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)।	सलग्न है।
11	जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिर्पोट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	—"—
12	प्रमाग/जिला प्रोफाइल	
i)	जिला का भौगोलिक क्षेत्र।	2310 वर्ग किमीटर
ii)	जिला का वन क्षेत्र।	1074 —"—
iii)	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र।	355 मामले 1453.2083 है०
iv)	1980 से जिला/प्रमाग में निर्धारित कुल प्रतिकूल वनीकरण	1315.278 है०
क)	दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि	–
ख)	वनेत्तर भूमि पर .... तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुयी प्रगति	–
क)	वन भूमि पर	1081.006 है०
ख)	वनेत्तर भूमि पर	234.272 है०
13	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।	स्वीकृति की संस्तुति की जाती है।

दिनांक 25-11-2013
स्थान बागेश्वर

हस्ताक्षर
नाम (प्रेम कुमार)
सरकारी मोहर
प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग
बागेश्वर।

भाग– III
(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जायेगा)

14–	स्थल जहॉ की वन भूमि शामिल की गयी है क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया (हॉ/नहीं) यदि हॉ तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रेक्षणों की निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	दिनांक 18/5/2014
15–	क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत हैं।	सहमत।
16–	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिश।	जनहित में स्वीकृति हेतु संस्तुति की जाती हैं। प्रतिबन्ध यह होगा कि प्रश्नगत परियोजना में प्रभावित होने वाले 10–20 सेमी0 व्यास वर्ग के पौधों का प्रस्तावक विभाग द्वारा स्वयं के व्यय से निकटवर्ती उपलब्ध रिक्त क्षेत्र में प्रत्यारोपण किया जायेगा तथा प्रत्यारोपित पौधों की सुरक्षा हेतु माकूल व्यवस्था भी सुनिश्चित की जायेगी।

तिथि – 20/5/2014
स्थान – अल्मोड़ा

(हस्ताक्षर)
वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

प्रपत्र सं० 4

परियोजना का नामः– राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में लोहारी सिल्ली बन्ड कनस्यारी मोटर मार्ग का निर्माण।

(13)

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (प्रमाण–पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक 30.06.2013 को उपरोक्त प्रयोजन हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री भैरब दत्त पांडे, वन दरोगा, राजस्व विभाग की ओर से श्री देशदीपक बर्मा एवं श्री बसन्त बल्लभ लोहनी, राजस्व उप निरीक्षक एवं प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री हरीश सिंह, अपर सहायक अभियंता एवं श्री विनोद कुमार, सहायक अभियंता, द्वारा भाग लिया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय पाया गया कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु आरक्षित वन भूमि 0.00 है0, सिविल सोयम भूमि 1.747 है0, वन पंचायत भूमि 0.00 .है0 कुल 1.747 है0 वन भूमि एवं 3.993 है0 नाप भूमि प्रभावित होती है। प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा प्रस्तावित भूमि की मांग न्यूनतम है। प्रश्नगत कार्य जनहित में किया जाना है। आवेदित वन भूमि में न्यूनतम आवश्यकता के अनुसार जिन वृक्षों का पातन किया जाना है उनकी सूची संलग्न है।

आवेदित वन एवं कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व पूर्व कृषि समुदाय (Primitive Agricultural Tribal Groups) निवास नहीं करते हैं और परियोजना के निर्माण से इन वर्गों के हित प्रभावित नहीं हो रही हैं।

(हरीश सिंह)
अपर सहायक अभियंता
(प्रयोक्ता एजेन्सी)

(बी.बी.लोहनी)
राजस्व उप निरीक्षक
राजस्व विभाग के प्रतिनिधि

वन क्षेत्र अधिकारी
वन विभाग के प्रतिनिधि

(देशदीपक बर्मा)
राजस्व उप निरीक्षक
राजस्व विभाग के प्रतिनिधि

(बिनोद कुमार)
सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

प्रतिहस्ताक्षर

तहसीलदार

प्रति हस्ताक्षरित

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग
बागेश्वर

उपजिला अधिकारी
गरुड़, जिला बागेश्वर

प्रपत्र सं. 11

परियोजना का नामः– राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में लोहारी सिल्ली बन्ड कनस्यारी मोटर मार्ग का निर्माण।

(15)

लैन्ड शैड्यूल

सिविल सोयम एवं वन पंचायत भूमि के लैन्ड शेड्यूल के लिये (राजस्व विभाग)/ जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र

जिला	तहसील	ब्लाक / गांव	खसरा संख्या	कुल रकवा		याचित क्षेत्रफल (हैक्टेयर)
				नाली	मुट्ठी	
बागेश्वर	गरूड	लोहारी तल्ली श्रेणी 9 (3) ड. बं.का.आ.	1115	02	02	0.043
बागेश्वर	गरूड	लोहारी तल्ली श्रेणी 9 (3) ड. बं.का.आ.	1132	01	01	0.021
बागेश्वर	गरूड	लोहारी तल्ली श्रेणी 9 (3) ड. बं.का.आ.	1139	01	07	0.029
बागेश्वर	गरूड	लोहारी तल्ली श्रेणी 9 (3) ड. बं.का.आ.	1239	03	05	0.066
बागेश्वर	गरूड	लोहारी तल्ली श्रेणी 9 (3) ड. बं.का.आ.	1241	01	10	0.033
बागेश्वर	गरूड	लोहारी तल्ली श्रेणी 9 (3) ड. बं.का.आ.	1243	03	03	0.064
बागेश्वर	गरूड	सिल्ली लगा अमोली श्रेणी 9 (3) ड. बंकाआ	513	08	07	0.169
बागेश्वर	गरूड	सिल्ली लगा अमोली श्रेणी 9 (3) ड. बंकाआ	516	01	12	0.035
बागेश्वर	गरूड	सिल्ली लगा अमोली श्रेणी 9 (3) ड. बंकाआ	520	03	05	0.066
बागेश्वर	गरूड	सिल्ली लगा अमोली श्रेणी 9 (3) ड. बंकाआ	522	01	01	0.021
बागेश्वर	गरूड	सिल्ली लगा अमोली श्रेणी 9 (3) ड. बंकाआ	350	02	14	0.058
बागेश्वर	गरूड	सिल्ली लगा अमोली श्रेणी 9 (3) ड. बंकाआ	346	01	14	0.038
बागेश्वर	गरूड	सिल्ली लगा अमोली श्रेणी 9 (3) ड. बंकाआ	352	00	14	0.018
बागेश्वर	गरूड	सिल्ली लगा अमोली श्रेणी 9 (3) ड. बंकाआ	356	01	06	0.028
बागेश्वर	गरूड	कनेड़ी श्रेणी 9 (3) ड. बंकाआ	394	00	13	0.016
बागेश्वर	गरूड	कनेड़ी श्रेणी 9 (3) ड. बंकाआ	395	02	09	0.051
बागेश्वर	गरूड	कनेड़ी श्रेणी 9 (3) ड. बंकाआ	567	01	01	0.021
बागेश्वर	गरूड	कनेड़ी श्रेणी 9 (3) ड. बंकाआ	569	00	14	0.018
बागेश्वर	गरूड	सिल्ली श्रेणी 9 (3) ड. बंकाआ	1707	01	05	0.026
बागेश्वर	गरूड	सिल्ली श्रेणी 9 (3) ड. बंकाआ	1727	01	02	0.023

(16)

बागेश्वर	गरूड	सिल्ली श्रेणी 9 (3) ड. बंकाआ	1728	05	05	0.106
बागेश्वर	गरूड	सिल्ली श्रेणी 9 (3) ड. बंकाआ	1737	02	12	0.035
बागेश्वर	गरूड	सिल्ली श्रेणी 9 (3) ड. बंकाआ	1792	01	10	0.033
बागेश्वर	गरूड	सिल्ली श्रेणी 9 (3) ड. बंकाआ	1942	01	01	0.021
बागेश्वर	गरूड	सिल्ली श्रेणी 9 (3) ड. बंकाआ	1947	01	05	0.026
बागेश्वर	गरूड	सिल्ली श्रेणी 9 (3) ड. बंकाआ	1945	04	13	0.096
बागेश्वर	गरूड	मटेना श्रेणी 10 (4) वंजर ना0आ.	1048	03	05	0.066
बागेश्वर	गरूड	मटेना श्रेणी 10 (4) वंजर ना0आ.	1107	01	09	0.031
बागेश्वर	गरूड	मटेना श्रेणी 10 (4) वंजर ना0आ.	1411	01	05	0.026
बागेश्वर	गरूड	मटेना श्रेणी 10 (4) वंजर ना0आ.	1402	01	14	0.038
बागेश्वर	गरूड	सेलखोला श्रेणी 9 (3) ड. वंजर का0आ.	246	01	01	0.021
बागेश्वर	गरूड	ज़िनखोला श्रेणी 9 (3) ड. वंजर का0आ.	693	01	01	0.021
बागेश्वर	गरूड	जिनखोला श्रेणी 9 (3) ड. वंजर का0आ.	695	01	05	0.026
बागेश्वर	गरूड	कनस्यारी श्रेणी 9 (3) ग. गौचर	639	04	05	0.086
बागेश्वर	गरूड	कनस्यारी श्रेणी 9 (3) ग. गौचर	640	06	14	0.138
बागेश्वर	गरूड	कनस्यारी श्रेणी 10 (2) रौली	473	05	10	0.113
	सिविल सोयम भूमि का योग		**36 नं0**	**87**	**04**	**1.747**

सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

राजस्व उप निरीक्षक
पाटली

राजस्व उपनिरीक्षक
क्षेत्र - गरूड

जिलाधिकारी
बागेश्वर

उप प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर

तहसीलदार
गरुड़

उपजिला अधिकारी
गरूड, जिला-बागेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग
बागेश्वर

प्रपत्र–15.4

परियोजना का नामः– राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में लोहारी–सिल्ली बन्ड कनस्यारी मोटर मार्ग का निर्माण।

परियोजना के निर्माण में प्रभावित होने वाले वृक्षों का सारांश।

कसं	भूमि का प्रकार	प्रजाति	व्यास वर्ग									योग
			10.20	20.30	30.40	40.50	50.60	60.70	70.80	80.90	90 से अधिक	
1	आरक्षित वनभूमि		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2	सिविल सोयम भूमि		14	21	25	24	6	1	1	–	–	92
3	वन पंचायत भूमि		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	योग		14	21	25	24	6	1	1	–	–	92
4	नाप भूमि		21	35	24	7	5	1	–	–	–	93
	कुल योग		35	56	49	31	11	2	1	–	–	185

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर

नोट– उक्त सूचना सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के द्वारा तैयार कर प्रयोक्ता ऐजेन्सी को उपलब्ध करायी जानी है।

प्रपत्र सं0 15

कार्यालय उप वन-संरक्षक, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर

(17)

संख्या— / दिनांकः , 2013

वृक्षों के पातन का प्रमाण–पत्र

राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में लोहारी सिल्ली बन्ड कनस्यारी मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 8.200 कि0मी0 के निर्माण हेतु 1.747 है0 वन भूमि का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान 7 मीटर चौड़ाई में पातन होने वाले वृक्षों की निम्नानुसार गणना की गई :—

क्रसं	ब्लाक	प्रजाति	व्यास वर्ग										योग
			0.10	10.20	20.30	30.40	40.50	50.60	60.70	70.80	80.90	90 से अधिक	
1	लोहारी तल्ली नाप	चीड़ हरा खड़ाअयोग्य	—	—	4	6	2	1	—	—	—	—	13
2	—तदैव—	नासपातीहरा खड़ा	—	6	5	—	—	—	—	—	—	—	11
3	—तदैव— सिविल	चीड़ हरा खड़ाअयोग्य	—	2	11	12	9	3	—	—	—	—	37
4	सिल्ली सिविल	चीड़ हरा खड़ाअयोग्य	—	8	8	11	9	1	1	1	—	—	39
5	सिल्ली नाप	चीड़ हरा खड़ाअयोग्य	—	2	1	2	1	2	1	—	—	—	9
6	—तदैव—	अखरोट हरा खड़ अ	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2
7	—तदैव—	काफल हरा खड़ा	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
8	—तदैव—	नसपाती हरा खड़ा	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
9	अमोली सिविल	चीड़ हरा खड़ाअयोग्य	—	4	2	2	6	2	—	—	—	—	16
10	अमोली नाप	चीड़ हरा खड़ाअयोग्य	—	1	3	3	—	—	—	—	—	—	7
11	कनेड़ी सिल्ली नाप	बांज हरा खड़ा	—	2	10	3	1	—	—	—	—	—	16
12	—तदैव—	चीड़ हरा खड़ाअयोग्य	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
13	मटेला सैलखोला नाप वेनाप	बांज हरा खड़ा	—	9	10	9	3	1	—	—	—	—	32
	कुल वृक्षों का योग		—	35	56	49	31	11	2	1	—	—	185

उपरोक्तानुसार गणना किये गये वृक्षों का पातन किया जाना अपरिहार्य है। परियोजना से प्रभावित होने वाले वृक्षों की मूल्य सूची संलग्न है।

वन क्षेत्राधिकारी
बैजनाथ

उपप्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर

(मुहर: वन क्षेत्राधिकारी बैजनाथ वन क्षेत्र (पुरड़ा); उप प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर; प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर)

प्रपत्र क 15

(18)

परियोजना का नामः– राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में लोहारी सिल्ली बन्ड कनस्यारी मोटर मार्ग निर्माण में प्रभावित होने वाले वृक्षों की सूची एवं आउटटर्न

क.सं.	नाम ग्राम/ कम्पार्टमैंट	प्रजाति	व्यास		वृक्षों की संख्या	आयतन	योग आयतन	दर	धनराशि
1	लोहारी तल्ली नाप	चीड़ हरा	20-30		4	0.184	0.736	471.00	1884.00
		चीड़ हरा	30-40		6	0.694	4.164	1873.00	11238.00
		चीड़ हरा	40-50		2	1.502	3.004	4325.00	8650.00
		चीड़ हरा	50-60		1	2.663	2.663	7573.00	7573.00
2	लोहारी तल्ली नाप	नासपाती	10-20		6	-	-	154.00	924.00
		नासपाती	20-30		5	0.184	0.920	747.00	3735.00
3	लोहारी तल्ली सिविल	चीड़ हरा	10-20		2	0.000	0.000	231.00	462.00
		चीड़ हरा	20-30		11	0.184	2.024	471.00	5181.00
		चीड़ हरा	30-40		12	0.694	8.328	1873.00	22476.00
		चीड़ हरा	40-50		9	1.502	13.518	4325.00	38925.00
		चीड़ हरा	50-60		3	2.663	7.989	7573.00	22719.00
4	सिल्ली सिविल	चीड़ हरा	10-20		8	0.000	0.000	231.00	1848.00
		चीड़ हरा	20-30		8	0.184	1.472	471.00	3768.00
		चीड़ हरा	30-40		11	0.694	7.634	1873.00	20603.00
		चीड़ हरा	40-50		9	1.502	13.518	4325.00	38925.00
		चीड़ हरा	50-60		1	2.663	2.663	7573.00	7573.00
		चीड़ हरा	60-70		1	6.06	6.06	5973.00	5973.00
		चीड़ हरा	70-80		1	5.060	5.060	8330.00	8330.00
5	सिल्ली नाप	चीड़ हरा	10-20		2	0.000	0.000	231.00	462.00
		चीड़ हरा	20-30		1	0.184	0.184	471.00	471.00
		चीड़ हरा	30-40		2	0.694	1.388	1873.00	3746.00
		चीड़ हरा	40-50		1	1.502	1.502	4325.00	4325.00
		चीड़ हरा	50-60		2	2.663	5.326	7573.00	15146.00
		चीड़ हरा	60-70		1	6.06	6.06	5973.00	5973.00
6	सिल्ली नाप	अखरोट	10-20		1	0.000	0.000	154.00	154.00
		अखरोट	20-30		1	0.184	0.184	471.00	471.00
7	सिल्ली नाप	काफल हरा	30-40		1	0.694	0.694	1492.00	1492.00
8	सिल्ली नाप	नासपाती हरा	20-30		1	0.184	0.184	471.00	471.00
9	अमोली सिविल	चीड़ हरा	10-20		4	0.000	0.000	231.00	924.00
		चीड़ हरा	20-30		2	0.184	0.368	471.00	942.00
		चीड़ हरा	30-40		2	0.694	1.388	1873.00	3746.00
		चीड़ हरा	40-50		6	1.502	9.012	4325.00	25950.00
		चीड़ हरा	50-60		2	2.663	5.326	7573.00	15146.00
10	अमोली नाप	चीड़ हरा	10-20		1	0.000	0.000	231.00	231.00
		चीड़ हरा	20-30		3	0.184	0.552	471.00	1413.00
		चीड़ हरा	30-40		3	0.694	2.082	1873.00	5619.00
11	कनेड़ी सिल्ली नाप	बांज हरा	10-20		2	0.000	0.000	154.00	308.00
		बांज हरा	20-30		10	0.184	1.840	471.00	4710.00
		बांज हरा	30-40		3	0.694	2.082	1492.00	4476.00
		बांज हरा	40-50		1	1.502	1.502	4325.00	4325.00
12	कनेड़ी सिल्ली नाप	चीड़ हरा	50-60		1	2.663	2.663	7573.00	7573.00
13	मटेला सैलखोला नापबेनाप	बांज हरा	10-20		9	0.000	0.000	154.00	1386.00
		बांज हरा	20-30		10	0.184	1.840	471.00	4710.00
		बांज हरा	30-40		9	0.694	6.246	1492.00	13428.00
		बांज हरा	40-50		3	1.502	4.506	4325.00	12975.00
		बांज हरा	50-60		1	2.663	2.663	3484.00	3484.00
		कुल योग			185		137.345		354844.00

वनक्षेत्र अधिकारी
बैजनाथ

उपप्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर

वन क्षेत्र अधिकारी बैजनाथ वन क्षेत्र (पुरड़ा)
उपप्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर
प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

प्रपत्र सं. 16

परियोजना का नामः— राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में लोहारी सिल्ली बन्ड कनस्यारी मोटर मार्ग का निर्माण।

(19)

बांज वृक्षों के पातन का प्रमाण—पत्र

राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में लोहारी सिल्ली बन्ड कनस्यारी मोटर मार्ग लम्बाई 8.200 कि.मी. के निर्माण के लिए 1.747 है0 वन भूमि के हस्तान्तरण हेतु मेरे द्वारा दिनांक 18/5/2014 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान बांज वृक्षों की निम्नानुसार गणना की गई :—

क्रसं	ब्लाक	प्रजाति	व्यास वर्ग									योग
			0.10	10.20	20.30	30.40	40.50	50.60	60.70	70.80	80 से अधिक	
1	कनेड़ी सिल्ली नाप	बांज हरा खड़ा	—	2	10	3	1	—	—	—	—	16
2	मटेला सैलखोला नाप वेनाप	बांज हरा खड़ा	—	9	10	9	3	1	—	—	—	32
	कुल योग		—	**11**	**20**	**12**	**4**	**1**	—	—	—	**48**

उपरोक्तानुसार गणना किये गये वृक्षों का पातन किया जाना अपरिहार्य है।

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमायूं वृत,
अल्मोड़ा

वन क्षेत्र अधिकारी
बैजनाथ (पुरड़ा)

उपप्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर

प्रपत्र सं. 18_19

परियोजना का नामः— राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में लोहारी सिल्ली बन्ड कनस्यारी मोटर मार्ग का निर्माण। (20)

राष्ट्रीय पार्क / वन्य जीव अभ्यारण्य प्रमाण—पत्र

राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में लोहारी सिल्ली' बन्ड कनस्यारी मोटर मार्ग लम्बाई 8.200 कि.मी के निर्माण के लिए हस्तान्तरण हेतु प्रस्तावित 1.747 हैक्टेयर वन भूमि राष्ट्रीय पार्क / वन्य जीव अभ्यारण्य अथवा हाथी कोरिडोर का हिस्सा नही है। प्रस्तावित संरेखण से वन्य जीव अभ्यारण्य की दूरी लगभग 59 कि0मी0 है।

वन क्षेत्राधिकारी बैजनाथ	उपप्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर	प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर

प्रपत्र सं. 35

राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में लोहारी तल्ली सिल्ली बन्ड कनस्यारी मोटर मार्ग लम्बाई 8.20 कि.मी. के निर्माण में प्रभावित होने वाली 1.747 हैक्टेयर के दुगुने 3.494 या 3.500 है0 में क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना।

1 परियोजना का नाम– झटकवाली से ग्वाड़ तक लिंक मोटर मार्ग।
2 पौधारोपण स्थल का नाम– सिविल सोयम भूमि ग्राम .... क्षेत्रफल 3.500 है0
3 रोपित किये जाने वाले पोधों की संख्या 7000 पौध।
4 रोपित की जाने वाली प्रजाति – तेजपात, हरड़, आंवला, बहेड़, फल्यांट, क्वैराल, भीमल, धिंघारू, किलमोड़ा, हिसालू, रीठा आदि।

क्र.सं.	कार्य का नाम	ईकाई / संख्या	दर प्रति	धनराशि
1	2	3	8	9
1	सर्वे एवं सीमांकन	3.50	42.50	148.75
2	क्षेत्र की सफाई (झाड़ी कटान आदि)	3.50	255.00	892.50
3	अग्रिम दीवालबंदी (फैन्सिंग) प्रति है0 84 घ0मी0 औसत	294	137.00	40278.00
4	गड्ढा खुदान (0.30 x 0.30x 0.45)	7000	3.20	22400.00
5	निरीक्षण बटिया (प्रथम वर्ष)	3.50	212.00	742.00
6	पौधों की कीमत प्रथम वर्ष	7000	2.60	18200.00
7	अन्य व्यय जैसे यंत्र/ संयंत्र औजार तेज कराना, वर्षा जल संग्रहण हेतु आवश्यक्तानुसार गड्ढे खोदना	3.50	LS	1000.00
	योग प्रथम चरण			83661.25
1	गड्ढा भरान (0.30 x 0.30x 0.45)	7000	0.50	3500.00
2	पौध ढुलान कार्य (25 नंगी जड़ तथा 75 वैगपौध तथा 25 कि.मी. वाहन व 3 कि. मी. सिरबोझ औसत पर)	7000	2.93	20510.00
3	पौधारोपण व थावलबंदी	7000	0.90	6300.00
4	निराई गुड़ाई व मलविंग कार्य (वर्ष में 2 बार)	7000	0.66	4620.00
5	देखरेख व रखरखाव रोपण वर्ष में 8 माह (5 हैक्टेयर पर)	8	4440.00	35520.00
6	पौधारोपण के अन्तर्गत सूखे घासफुस ज्वलनशील पदार्थ को हटाना प्रति है0	3.50	137.00	479.50
7	सुरक्षा दीवार/ घेरबाड़ के बाहर 4 मीटर की पट्टी साफ करना।	3.50	96.00	336.00
8	वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण।		LS	1000.00
9	अन्य व्यय –साईन बोर्ड, पौध ढुलान हेतु टोकरी, सुतली, आदि क्रय, वृक्षारोपण के समय वर्षा से बचाने हेतु पोलीथीन सीट क्रय, वर्ष में 2–3 बार फोटोग्राफी, फील्ड स्तरीय कार्यों का प्रचार– प्रसार एवं डैक्यूमैन्टेशन आदि कार्य।	3.5	LS	2500.00
	योग द्वितीय चरण			74765.50
1	वृक्षारोपण क्षेत्र अन्तर्गत सूखे घासफुस व ज्वलनशील पदार्थ को हटाना।	3.50	137.00	479.50
2	सुरक्षा दीवार/ घेरबाड़ के बाहर 4 मीटर की सुरक्षा पट्टी साफ करना।	3.50	96.00	336.00
3	वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/ समितियों को प्रोत्साहन देना।		LS	1000.00
4	देखरेख व रखरखाव तृतीय वर्ष में।	12	4440.00	53280.00
	योग तृतीय चरण			55095.50
	चतुर्थ वर्ष से दसवें वर्ष तक का रखरखाव (84 माह दर रू0 4440 प्रतिमाह)	84	4440.00	372960.00
	कुल योग			586482.25

वनक्षेत्र अधिकारी
बैजनाथ

वन क्षेत्र अधिकारी
बैजनाथ वन क्षेत्र (गरुड़)

उपप्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर

उप प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग
बागेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग
बागेश्वर

प्रपत्र सं॰ 13

परियोजना का नामः– राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में लोहारी सिल्ली बन्ड कनस्यारी मोटर मार्ग का निर्माण।

(27)

भूमि का बारचार्ट

पैमाना 1 से0मी0 = 500 मीटर

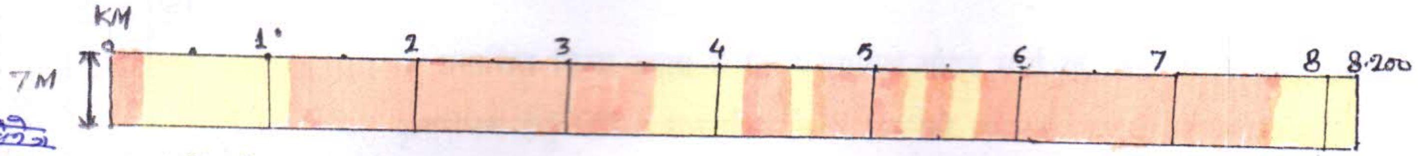

चैनेज

0.000 - 0.200 लोहारी तल्ली नाप
0.200 - 0.566 लोहारी तल्ली सिविलसोयम
0.566 - 1.117 सिल्ली सिविलसोयम
1.117 - 3.517 सिल्ली नाप
3.517 - 4.137 अणियाँ सिविल सोयम
4.137 - 4.337 अणियाँ नाप
4.337 - 4.487 कनेड़ी नाप
4.487 - 4.638 कनेड़ी सिविल
4.638 - 5.138 गैठना नाप
5.138 - 5.368 गैठना सिविल
5.368 - 5.398 सेलखिया सिविल
5.398 - 5.498 सेलखिया नाप
5.498 - 5.565 सिलखिया सिविल
5.565 - 6.365 घौंघा नाप
6.365 - 6.765 कन्स्यारी नाप
6.765 - 7.719 बड़ नाप
7.719 - 8.200 कन्स्यारी सिविल सोयम

संकेत

सिविल सोयम भूमि 2496.00 Mx7= 1.747 H.	
नाप भूमि 5704.00 Mx7= 3.993 H.	

सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

जिलाधिकारी
बागेश्वर

अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर 10/7/13

राजस्व उपनिरीक्षक
क्षेत्र - गरूड

वन क्षेत्र अधिकारी
बैजनाथ वन क्षेत्र (पूरब)

तहसीलदार
गरूड

उपजिला अधिकारी
गरूड, जिला-बागेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग
बागेश्वर

वन प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर

प्रपत्र सं. 38

(28)

परियोजना का नामः— राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में लोहारी सिल्ली बन्ड कनस्यारी मोटर मार्ग का निर्माण।

रिक्त पड़े स्थान पर उचित वृक्षारोपण योजना का प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग के आस—पास रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण हेतु वाँछित धनराशि वन विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

मोटर मार्ग निर्माण उपरान्त मार्ग के किनारे वृक्षारोपण हेतु धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी।

सहायक अभियंता प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0 बागेश्वर	अधिशासी अभियंता प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0 बागेश्वर

प्रपत्र सं. 38 (25)

परियोजना का नामः– राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में लोहारी सिल्ली बन्ड कनस्यारी मोटर मार्ग का निर्माण।

मोटर मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थान पर उचित वृक्षारोपण योजना का आंगणन

क सं	कार्य का नाम	मार्ग की लम्बाई	दर (लाख में)	प्रति	ईकाई	कुल लागत (लाख में)
1	2	3	4	5	6	7
1	**पथ वृक्षारोपण** प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखंड, देहरादून के पत्रांक ख–3080 / 20–2 (ब.सं.स.) दिनांक 02.06.2007 द्वारा प्रति कि.मी. 100 पौध रोपण के मानक के अनुसार। शासनादेश 89/3-5.2 दि० 6.6.2013 द्वारा संशोधन	8.200	~~1.00~~ 2.00	प्रति	कि.मी.	~~8.200~~ 16.40

वन क्षेत्राधिकारी
बैजनाथ (पूर्वी)

उपप्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग
बागेश्वर

प्रपत्र सं. 21

(30)

परियोजना का नामः— राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में लोहारी तल्ली सिल्ली बन्ड कनस्यारी मोटर मार्ग का निर्माण।

आम सभा का अनापत्ति प्रमाण–पत्र

राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में लोहारी तल्ली सिल्ली बन्ड कनस्यारी मोटर मार्ग के निर्माण के लिए लो0नि0वि0, बागेश्वर द्वारा निर्धारित संरेखण के सम्बन्ध में ग्राम सभा की बैठक की गयी। बैठक में उपस्थित ग्राम प्रधान, सरपंच एवं जनता द्वारा सर्वसम्मति से तय किया गया कि उपरोक्त मोटर मार्ग निर्माण हेतु लो0नि0वि0 द्वारा जो संरेखण तय किया गया है, उसके अनुसार मोटर मार्ग निर्माण करने एवं संरेखण में आने वाली सभी प्रकार की भूमि को लो0नि0वि0 को हस्तान्तरित करने में समस्त ग्रामवासी सहमत हैं। गोमती नदी के दूसरी ओर की जनता को यातायात की सुविधा उपलब्ध कराने एवं गरूड़ बाजार में बढ़ते यातायात के कारण बार बार लगने वाले जाम की समस्या के समाधान हेतु इसके अलावा और कोई विकल्प भी नहीं है।

इस मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाली आवेदित वन एवं कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह व पूर्व कृषि समुदाय के लोग निवास नहीं करते हैं।

स्थानः— सिल्ली

दिनांकः:— 7.7.2013

07-07-2013

प्रधान

ग्राम पंचायत सिल्ली

वि०ख० गरूड़ (बागेश्वर)

हस्ताक्षर

ग्राम प्रधान / सरपंच

प्रधान

ग्राम पंचायत दुदीला

वि०ख० व जिला बागेश्वर

प्रकाश पुरी

सहायक अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि०

बागेश्वर

(31)

नोट– उक्त सूचना राजस्व विभाग द्वारा प्रयोक्ता ऐजेन्सी को उपलब्ध करायी जानी है जिसे प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना हैं। प्रत्येक श्रेणी की भूमि का अलग–अलग प्रपत्र भरा जाना है।

प्रपत्र–12

परियोजना का नामः– राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में लोहारी–सिल्ली बन्ड कनस्यारी मोटर मार्ग का निर्माण।

परियोजना की लम्बाई– चौड़ाई का विवरण।

क्र0सं0	भूमि की श्रेणी	लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	क्षेत्रफल है0 में।
1	आरक्षित वन भूमि	0.00	07	0.00
2	सिविल सोयम भूमि	2496	07	1.747
3	वन पंचायत भूमि	0.00	07	0.00
	वन भूमि का योग	**2.496**	**07**	**1.747**
4	नाप भूमि	5704	07	3.993
	कुल योग	**8200**	**07**	**5.740**

सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

नोट– उक्त सूचना प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा तैयार कर प्रस्ताव के साथ संलग्न की जानी है।

प्रपत्र सं. 8

परियोजना का नामः— राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में लोहारी सिल्ली बन्ड कनस्यारी मोटर मार्ग का निर्माण। (32)

वैकल्पिक समरेखणों को निरस्त किये जाने का प्रमाण–पत्र।

प्रस्तावित परियोजना हेतु ....2....(दो)...........समरेखणों पर विचार किया गया। **समरेखण संख्या**— 2 का अधिकांश भाग आरक्षित वन भूमि एवं सिविल सोयम भूमि से जाता है जिसमें वृक्ष भी अधिक प्रभावित होते है एवं कम परिवार लाभान्वित होते है। मानकों के अनुसार ग्रेड भी नहीं मिलता है इसलिए इसे निरस्त किया गया है।

संरेखण संख्या 1 में अधिकांश नाप भूमि के अतिरिक्त कुछ सिविल सोयम भूमि आती है जिसमें वृक्ष कम प्रभावित होते है और बांज वृक्ष भी कम प्रभावित होते है। अधिक से अधिक जनता लाभान्वित होती है। मानकों के अनुसार ग्रेड मिलता है एवं ग्रामवासी भी सहमत है। भूवैज्ञानिक की संस्तुति के अनुसार इस संरेखण को अनुमोदित किया गया है।

सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

प्रपत्र सं. 15

परियोजना का नामः— राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में लोहारी सिल्ली बन्ड कनस्यारी मोटर मार्ग का निर्माण। (33)

कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित भूमि पर अभी तक कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। भारत सरकार से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा ।

सहायक अभियंता प्रान्तीय खंड, लो.नि.वि. बागेश्वर	अधिशासी अभियंता प्रान्तीय खंड, लो.नि.वि. बागेश्वर	प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

वन क्षेत्राधिकारी
बैजनाथ वन क्षेत्र (पुरड़ा)

उप प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर

प्रपत्र सं० 26

कार्यालय मुख्य अभियन्ता कु0क्षे0
लोक निर्माण विभाग ,अल्मोड़ा

(34)

पत्रॉक– 94 / A-5/कुँ0क्षे0 / 2011 दिनॉक–09.11.2011

सेवा में ,

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड,लोक निर्माण विभाग,
बागेश्वर।

विषयः– जनपद बागेश्वर में धौना–लखनी मोटर मार्ग से लोकरी–सिल्ली–बन्ड से कन्सयारी तक मोटर मार्ग के 8.00 किमी0 सड़क समरेखण की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।

जनपद बागेश्वर में धौना–लखनी मोटर मार्ग से लोकरी–सिल्ली–बन्ड से कन्सयारी तक मोटर मार्ग के 8.00 किमी0 सड़क समरेखन की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या जी–94 / सड़क संरेखन / कुमायूँ / 2011 की एक प्रति सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही हैं ।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार

9.11.2011

(मणि कर्णिका मिश्र)
भूवैज्ञानिक
कार्या. मुख्य अभियन्ता कु0क्षे0
लोक निर्माण विभाग , अल्मोड़ा

पत्रॉक 94 / A-5/कुँ0क्षे0 / 2011 तद्दिनॉकित

प्रतिलिपिः–

1– अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त,लोक निर्माण विभाग,अल्मोडा को उक्त आख्या की एक प्रति सूचनार्थ प्रेषित ।

2– वरिष्ठ भू वैज्ञानिक कार्यालय, मुख्य अभियन्ता स्तर –1, लो0नि0वि0, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित्।

2– भूवैज्ञानिक ,लोक निर्माण विभाग, अल्मोडा को उक्त आख्या की एक प्रति सूचनार्थ प्रेषित।

भूवैज्ञानिक
कार्या. मुख्य अभियन्ता कु0क्षे0
लोक निर्माण विभाग , अल्मोड़ा

जनपद बागेश्वर में धौना–लखनी मोटर मार्ग से लोकरी–सिल्ली–बन्ड से कन्सयारी तक मोटर मार्ग के 8.00 किमी० सड़क समरेखण की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।

1:–प्रस्तावना:–

जनपद बागेश्वर में प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, बागेश्वर द्वारा धौना लखनी मोटर से लोकरी–सिल्ली–बन्ड से कन्सारी तक मोटर मार्ग के 8 किमी० भाग का बनाना प्रस्तावित है। अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, बागेश्वर के अनुरोध पर स्थल का निरीक्षण दि० 07.11.2011 में श्री विनोद कुमार, सहायक अभियन्ता, एवं श्री हीरा बल्लभ भटट्, अपर सहा०अभि० प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, बागेश्वर के साथ अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया। स्थल का निरीक्षण स्थल संरचना व बनावट भूगर्भीय एवं पर्यावरणीय परिस्थितियो के अध्ययन हेतु किया गया ताकि इस भाग में मोटर मार्ग निर्माण हेतु आवश्यक सुझाव दिया जा सके। चित्र (1 –2)

2– स्थिति:–

1--जनपद बागेश्वर में यह सड़क समरेखन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना घौना–लखनी मोटर मार्ग के किमी० 1.00 से प्रारम्भ होता है। (चित्र–1)

2--भारतीय सर्वेक्षण विभाग के अनुसार कन्सारी 29° 53' 36.73'' N अक्षांक्ष तथा 79° 39' 24.45'' E देशान्तर पर स्थित है। (चित्र–2)

3– भूगर्भीय स्थिति:–

यह सड़क समरेखन कुमायूँ लेसर हिमालय के अन्तर्गत बेरीनाग वर्ग के क्वाटजाइट फारमेशन में फैला हुआ है। स्थल क्षेत्र में महीन एवं मोटे परत वाली भूरें रंग की तीन प्रकार के ज्वाइट से पूर्ण क्वाटजाइट चट्टानें पूर्वोत्तर दिशा के झूकाव के साथ स्थल क्षेत्र में स्पष्ट दृष्टिगोर हैं। चट्टानों के ऊपर डेव्रिस मिट्टी की परतें भी विद्यमान हैं।

चट्टानों में किया गया अध्ययन निम्नवत है–

1--	130–310	/ पूर्वोत्तर	/ 17^0	नति
2--	130–310	/ पूर्वोत्तर	/ 19^0	नति
3--	130–310	/ पूर्वोत्तर	/ 21^0	नति
4--	120 / 300	/ दक्षिण पश्चिम	/ 65^0	ज्वाइंट
5--	120 / 300	/ दक्षिण पश्चिम	/ 67^0	ज्वाइंट
6--	120 / 300	/ दक्षिण पश्चिम	/ 69^0	ज्वाइंट
7--	50–230	/ पश्चिमोत्तर	/ 71^0	ज्वाइंट
8--	50–230	/ पश्चिमोत्तर	/ 73^0	ज्वाइंट
9--	50–230	/ पश्चिमोत्तर	/ 75^0	ज्वाइंट

इस सम्पूर्ण समरेखन में भूगर्भीय टेक्टोनिक कम निम्नवत है।

मिट्टी की परत
डेव्रिस
क्वाटजाइट
क्वाटजाइट
क्वाटजाइट

4– स्थल वर्णन:–

यह समरेखण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत घौना–लखनी मोटर मार्ग के किमी.0 1 से प्रारम्भ होकर 8 किमी० लम्बाई में कन्सारी ग्राम के बीच फैला हुआ है। यह समरेखण उक्त मोटर मार्ग से प्रारम्भ होकर पूर्वोत्तर दिशा को 500मी० जाकर पश्चिमोत्तर दिशा के पहाडी ढलान के साथ जाता है। उसके बाद समरेखण पूर्वोत्तर दिशा को पश्मिोत्त्र दिशा के पहाडी ढलान के साथ समरेखण के अन्त तक जाता है। इस समरेखण में

कोई भी भूस्खलन क्षेत्र नहीं है। यह समरेखण नाप एवं बेनापभूमि से होकर जाता है। इस समरेखण में कई सूखे नालें विद्यमान है। मिटटी के नीचें चटटानें विद्यमान हैं। इस सम्पूर्ण समरेखण में पहाडी ढलान सामान्य से मध्यम स्थिति में है। इस समरेखण के किमी0 1 में लखनी ग्राम एवं प्रा0पाठशाला, किमी0 2 एवं 3 में सिल्ली ग्राम, किमी0 4 में सिरखोला तथा किमी0 5 में जिनखोला ग्राम विद्यमान है। किमी0 6 में बन्ड ग्राम, किमी0 7–8 में कन्सयारी ग्राम एवं प्रा0पाठशाला विद्यमान है।

इस मोटर मार्ग के निर्माण हेतु दो समरेखण स्थल देखे गये। प्रथम समरखेण स्थल भूगर्भीय एवं पर्यावरणीय दृष्टिकोण से स्थायित्व के विचार से उचित एवं उपयुक्त पाये जाने पर अनुमोदित किया गया है जिसका उपरोक्तानुसार विस्तृत वर्णन किया गया है। द्वितीय समरखेण स्थल भूगर्भीय एवं पर्यावरणीय दृष्टिकोण से स्थायित्व के विचार से अनुचित एवं अनुपयुक्त पाये जाने पर निरस्त किया गया है

5— स्थायित्व का विचार:—

इस समरेखण की स्थल संरचना व बनावट भूगर्भीय, भूजलीय, भूकम्पीय एवं पर्यावरणीय आदि परिस्थितियों को देखते हुए इस भाग में मोटर मार्ग के निर्माण हेतु निम्न बिन्दुओं पर विचार करना आवश्यक है।

1— यह सड़क समरेखण पर्वतीय क्षेत्र में है।

2— यह सड़क समरेखण भूकम्पीय क्षेत्र में है।

3— पर्यावरण का ध्यान रखा जाय।

4— इस सड़क समरेखण में पहाड़ी ढलान सामान्य से मध्यम स्थिति में हैं।

5— यह समरेखण नाप/बेनाप से गुजरता है।

6— यह सड़क समरेखण में कई ग्राम विद्यमान हैं।

7— इस समरेखण में कोई भूस्खलन क्षेत्र नहीं है।

8— इस समरेखण में कोई भी पेरिनियल नाला विद्यमान है।

6— सुझाव:—

इस सड़क समरेखण की स्थल की संरचना व बनावट, स्थल वर्णन, स्थायित्व का विचार, भूगर्भीय, भूजलीय, भूकम्पीय एवं पर्यावरणीय आदि परिस्थितियों को देखते हुए इस भाग में मोटर मार्ग निर्माण हेतु निम्नलिखित सुझाव दियें जाते हैं।

1— पहाड़ी की ओर नाली का निर्माण किया जाय।

2— मोटर मार्ग के निर्माण करते समय सूखे नालों पर स्कपर/डबल स्कपर/कल्वर्ट/फाजवे का निर्माण किया जाय।

3— मिट्टी/डेब्रिस/ग्राम वाले भाग में पहाड़ी कटान के बाद आवश्यकतानुसार ब्रैस्टवाल का निर्माण किया जाय।

4— ग्रामों वाले भाग में विस्फोटक सामग्री का उपयोग न किया जाय।

5— मिट्टी वाले/डेब्रिस वाले मार्ग के वाहय भाग को ऊँचा रखा जाय ताकि वर्षा के दिनों में पानी मार्ग को पार कर न बहे जिससे मोटर मार्ग यथावत बना रहे।

6— पर्यावरण को स्वच्छ एवं शुद्ध रखने हेतु मिट्टी वाले भाग में वृक्षारोपण किया जाय।

7— पर्यावरण को ध्यान में रखकर ही मार्ग का निर्माण किया जाय।

8— पर्वतीय क्षेत्रों में बनने वाले मोटर मार्गों के निर्माण हेतु किये जाने वालें उपायों को ध्यान में

(38) (40)

रखकर मोटर मार्ग का निर्माण किया जाय।

9-- भूकम्पीय मानक के अनुरूप उपाय किए जाय।

10-- अन्य आवश्यक उपाय जो मार्ग निर्माण में आवश्यक हों किए जाय।

7-- निष्कर्ष:--

उपरोक्त वर्णित बिन्दुओं को ध्यान में रख कर इस क्षेत्र में मोटर मार्ग निर्माण करना उचित एवं उपयुक्त प्रतीत होता है।

9.11.2011

(मणि कर्णिका मिश्र)
भूवैज्ञानिक
कार्यालय मुख्य अभियन्ता कु0क्षे0
लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा।

प्रान्तीय खण्ड लो0 नि0 वि0

प्रपत्र सं.27

परियोजना का नामः— राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में लोहारी सिल्ली बन्ड कनस्यारी मोटर मार्ग का निर्माण।

(39)

भू—वैज्ञानिक / जिला टॉस्क फोर्स की संस्तुतियों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण—पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना हेतु भू—वैज्ञानिक / जिला टास्क फोर्स द्वारा दिये गये सुझावों / शर्तो का निर्माण कार्य के दौरान. लोक निर्माण विभग द्वारा पूरी तरह अनुपालन किया जायेगा।

सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर 4/01/7/13

प्रपत्र सं.28 (40)

परियोजना का नामः— राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में लोहारी सिल्ली बन्ड कनस्यारी मोटर मार्ग का निर्माण।

Task Force Certificate

(i) Lay out of the Land-be followed as far as possible.

(ii) Heavy cutting/filling be avoided-as far as possible. The technology of cut and fill method is to be adopted. Steep hill slopes also to be avoided.

(iii) Unstable/slide-prone areas to be avoided. For identifying such areas the advice of Geotechnical engineers and geologists to be taken during the survey for alignment.

(iv) Comparison of various possible alignments with reference to erosion potential be made and the alignment involving minimum erosion risks be preferred.

A part from the stage of planning the road alignment, effective steps are also required to be taken by ground engineer during the process of road construction for minimized ecological disturbance to the hill roads Broadly the measures to be taken have been identified as :-

(i) Cut and fill method to be adopted while excavating for road formation and heavy earth cutting is to be avoided Box cutting is to be avoided to the extent possible.

(ii) (ii) Blasting by explosives is to be restricted to the minimum. Lay out of holes to be drilled for blasting is to be planned keeping is view the line of least resistance and the existence of joints Controlled blasting should be repeated using low charge and care be taken to avoid activating slide zones or widening fissures and cracks in roak. Use of delay detonators in large scale basting work is to be made for anaoline dispersion of chock waves, so that minimum disturbance is caused to the rock stratum as a result of the blasting process.

(iii) (iii) All cut slopes, unusable hill side and slide prone erosion prone areas are to be provided with suitable correction measures by using one or the other of the techniques developed by CRRI. Several techniques have been sponsored by CRRI. like simple vegetative turning, bitumen much treatment and slide treatment by jute netting coir netting of these simple vegetative turning seems to be the most appropriate preventive measure in many situations. This should be established in the denuded slopes immediately after the excavation is made

(iv) Adequate drainage measures and protective structures like intercepting catch water drains, longitudinal drains/culvers, breast walls, retaining and the walls are provided for purposes of establishing the slips Growth vegetative cover is stimulated in the disturbed hill slops above the road level by planting suitable fast growing shrubs and plants. In certain selected unstable areas terraced afforestation has also been plasticized as a stabilizing measure with go d results.

(v) Over the past few years the roads wing of the Ministry of Shipping and transport has issued instruction laying down broad guidelines and check list of the preparation of road construction projects which provide an inbuilt mechanism of tacking land slides/erosion control for the guidance and follow up action by engineers of state 'PWD' Border Roads Organization and other engaged in construction of hill roads these should be observed.

प्रमाणित किया जाता है कि योजना आयोग द्वारा गठित टास्क फोर्स की उपरोक्त संस्तुतियाँ याचक विभाग को मान्य हैं।

सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो०नि०वि०
बागेश्वर

अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो०नि०वि०
बागेश्वर

प्रपत्र 17.1, 31, 32

परियोजना का नाम:– राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में लोहारी सिल्ली बन्ड कनस्यारी मोटर मार्ग का निर्माण। (42)

वन्य जीव/वनस्पतियों को क्षति न पहुँचाये जाने एवं न्यूनतम वृक्षों का पातन किये जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण कार्य/ रख–रखाव के दौरान. लोक निर्माण विभाग (निर्माण ऐजेन्सी)..द्वारा वन्य जीव/ स्थानीय वनस्पतियों को कोई नुकसान नही पहुँचाया जायेगा। साथ ही मोटर मार्ग निर्माण के दौरान श्रमिकों को ईधन के लिए किरोसीन/ गैस विभाग अथवा सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा ताकि वनों को कोई क्षति न हो।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि मोटर मार्ग निर्माण के दौरान कम से कम एवं न्यूनतम आवश्यक वृक्षों का ही पातन किया जायेगा और जो वृक्ष प्रस्तावित किये गये हैं उनके अतिरिक्त अन्य वृक्षों का पातन नहीं किया जायेगा।

सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

प्रपत्र सं० 10

परियोजना का नामः— राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में लोहारी सिल्ली बन्ड कनस्यारी मोटर मार्ग का निर्माण। (43)

अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने व वन भूमि की मांग न्यूनतम होने का

प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु आवेदित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा 7 मीटर चौड़ाई में प्रस्तावित 1.747 है0 वन भूमि की मांग न्यूनतम है। इससे कम वन भूमि पर परियोजना का निर्माण कार्य कराया जाना सम्भव नही है।

सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग
बागेश्वर

जिलाधिकारी
बागेश्वर

राजस्व उपनिरीक्षक
क्षेत्र – गरूड़

वन क्षेत्राधिकारी
बैजनाथ वन क्षेत्र (पुरड़ा)

उपजिला अधिकारी
गरूड़, जिला-बागेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर

प्रपत्र सं 30

(44)

परियोजना का नामः— राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में लोहारी सिल्ली बन्ड कनस्यारी मोटर मार्ग का निर्माण।

धार्मिक / पौराणिक / ऐतिहासिक महत्व के स्थल न होने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित वन भूमि में किसी प्रकार का ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल, स्मारक, मन्दिर, मस्जिद, शमशान घाट, कब्रिस्तान आदि स्थित नहीं है तथा उक्त वन भूमि सार्वजनिक उपयोग की नही है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वन भूमि अन्य प्रयोजन हेतु किसी को आवंटित नही की गई है।

सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग
बागेश्वर

जिलाधिकारी
बागेश्वर

उप प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर

वन क्षेत्र अधिकारी
बैजनाथ वन क्षेत्र (पुरड़ा)

तहसीलदार
गरुड़

उपजिला अधिकारी
गरुड़, जिला-बागेश्वर

प्रपत्र सं. 33

परियोजना का नामः— राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में लोहारी सिल्ली बन्ड कनस्यारी मोटर मार्ग का निर्माण। (45)

लाभान्वित होने वाले ग्रामों/परिवारों/जनसंख्या के सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण से निम्न प्रकार स्थानीय ग्रामों/ परिवारों/जनसंख्या को लाभ प्राप्त होगा।

	ग्राम	जनसंख्या
1—	लोहारी तल्ली	128
2—	अमोली	340
3—	कनेड़ी	91
4—	सिल्ली	777
5—	मटेना	579
6—	सेलखोला	81
7—	जिनखोला	374
8—	धैपा	02
9—	पन्याली	227
10—	बन्ड	303
11—	कनस्यारी	988
	कुल योग	3890

सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

परियोजना का नामः— राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में लोहारी सिल्ली बन्ड कनस्यारी मोटर मार्ग का निर्माण। (46)

दुगने अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु 1.747 हैक्टेयर वन भूमि के प्रत्यावर्तन के एवज में दुगने अवनत वन क्षेत्र अर्थात 3.494 या 3.500 हैक्टेयर में देय क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि वन विभाग को उनकी मांग के अनुसार लोक निर्माण विभाग द्वारा उपलब्ध करा दी जायेगी।

सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

परियोजना का नामः— राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में लोहारी सिल्ली बन्ड कनस्यारी मोटर मार्ग का निर्माण। (57)

पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने एवं विस्फोटक पदार्थ के प्रयोग सम्बन्धी प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय सें पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता हुई तो प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त कर प्रस्तुत की जायेगी।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि मोटर मार्ग में विस्फोटक के प्रयोग की आवश्यकता नहीं होगी। यदि मोटर मार्ग निर्माण के दौरान अपरिहार्य कारणों से विस्फोटक के प्रयोग की आवश्यकता होगी तो तद्नुसार जिला प्रशासन से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी।

सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

प्रपत्र सं. 42

परियोजना का नामः— राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में लोहारी सिल्ली बन्ड कनस्यारी मोटर मार्ग का निर्माण। (48)

वन भूमि का वर्तमान शुद्ध मूल्य (NPV) का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत प्रयोजन हेतु 1.747 है0 वन भूमि प्रभावित होती है। मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाला वन क्षेत्र इकोक्लासेस–(Eco-classes -V) के अन्तर्गत आता है एवं वानस्पतिक घनत्व लगभग 0.2 प्र.श. है। अतः प्रभावित होने वाली वन भूमि का वर्तमान शुद्ध मूल्य (N.P.V.) मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 28.03.08 एवं आदेश दिनांक 09.05.08 में निर्धारित प्रकिया तथा नोडल अधिकारी, देहरादून के पत्रांक 1456 / 1–42 दिनांक 15.12.2008 में दिये गये निर्देशानुसार रू0 8.45 लाख प्रति हैक्टेयर की दर से रू0 14,76,215.00 होता है तथा वार्षिक लीज रेन्ट 0 प्रतिशत की दर से 00.00 रू0 होता है।

प्रभागीय वनाधिकारी,
बागेश्वर वन प्रभाग
बागेश्वर

वन क्षेत्र अधिकारी
प्रभारी वन क्षेत्र (पुरड़ा)

उप प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर

प्रपत्र सं. 53

(59)

परियोजना का नामः— राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में लोहारी सिल्ली बन्ड कनस्यारी मोटर मार्ग का निर्माण।

एन0पी0वी0 जमा कराये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में एन0पी0वी0 की देय धनराशि उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त यदि मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा एन0पी0वी0 की धनराशि में कोई बढोतरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की अतिरिक्त/ अन्तरीय धनराशि भी उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग द्वारा जमा करा दी जायेगी।

सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

(50)

परियोजना का नाम:– राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में लोहारी सिल्ली बन्ड कनस्यारी मोटर मार्ग का निर्माण।

स्थल विशिष्ट होने / न होने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित स्थल स्थलीय विशिष्ट है।

राजस्व उपनिरीक्षक
क्षेत्र - गरुड

जिलाधिकारी
बागेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग
बागेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर

वन क्षेत्राधिकारी
बैजनाथ वन क्षेत्र (पुरस्क)

उपजिलाधिकारी
गरूड, जिला-बागेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर

प्रपत्र सं. 4/

(51)

LOHARI- SILLI- BAND- KANSYARI- M/R

MUCK DISPOSAL PLAN

परियोजना का नामः– राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में लोहारी सिल्ली बन्ड कनस्यारी मोटर मार्ग का निर्माण।

(52)

भारत सरकार के पत्रांक 11 / मिस0 / 618 / 2010 / उ0प्र0, राज0, उत्तराखंड / 11 / 58 दिनांक 16. 04.2039साथ संलग्न प्रारूप के अनुसार मलवा निस्तारण योजना।

Summary of MUCK DISPOSAL PLAN

1	Calculation of muck to be generated. Swell factor has to be applied	20090 Cum. As per item 1 of enclosed muck disposal plan.
2	Quantity of muck to be utilized in the project activities.	Approximate 90% i.e. 18081 Cum. As per item 2 of enclosed muck disposal plan.
3	Balance quantity of muck which requires disposal/ Management plan.	2009 cum, As per item 3 of enclosed muck disposal plan.
4	Carriage of muck from the muck generation site to the dumping site.	Provision for carriage of muck to muck disposal site is being made Rs, 1,10,495.00 As per item 4 of enclosed muck disposal plan.
5	Ownership of land and the consent of land owners, in case muck disposal is proposed on non forest land. Photo graph & carrying capacity of proposed dumping site (Muck disposal site)	State Govt. land.(Private land not available.) Consent of Revenue Department enclosed. Muck disposal site shown in Google map with co-ordinates. Carrying capacity of proposed dumping site 2400cum. as shown in item 5 (a) of enclosed muck disposal plan.
6	Development of dumping site- construction of retaining walls and other structure as per requirement of the site. The objective is to completely stop rolling down of the muck.	Provision for development and construction of retaining walls etc. in dumping site is Rs. 3,96,000.00 being made as per item 5(b) of enclosed muck disposal plan. . Hence total provision for muck disposal is Rs. 1,10,495.00 + Rs. 3,96,000.00= Rs. 5,06,495.00 will be made in detail estimate after sanction of forest land.
7	Rehabilitation of dumping site like leveling, planting of grass, shrubs and tree species	Dumping site selected in khud side of the proposed motor road which area already included in land schedule of state land. After construction of motor road plantation will be made by the Forest Department through the provisions of both side plantation fund to be deposited by this department.

Note:- Cost to be incurred on the above activities has to be given component wise. Detail of dumping site including length, width and height of structures to be executed must be mentioned.

Photo copy Alka

Enclosed - Muck disposal plan and other papers.

Undertaking

I undertaking that -

1 Muck management plan will be implemented by the user agency.
2 The proposed dumping site is located away from river/ Stream/ Nala.
3 Dumping site is not located in reserved forest.

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0 नि0 वि0
बागेश्वर

Junior Engineer	Assistant Engineer	Executive Engineer
Provincial Division PWD	Provincial Division PWD	Provincial Division PWD
Bageshwar	Bageshwar	Bageshwar

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग,
बागेश्वर.

परियोजना का नामः– राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में लोहारी सिल्ली बन्ड कनस्यारी मोटर मार्ग का निर्माण।

(53)

MUCK DISPOSAL PLAN

1 Maerial received from hill side cutting
1/3 x 8200x 3x2+1.5/2 = 14350.00 Cum

40 % for swell factor = 5740.00 Cum
Grand total :- = 20090.00 Cum.

2 Total material (muck) used in motor road during construction – details as given below-

S No.	ITEM	QUANTITY (Cum)
1.	R.R. Stone Masonary laid in 1:6	5807
2.	R.R. Stone Masonary laid in dry	5807
3.	Hand Packed Stone Filling	2376
4.	Wire-crate Construction	1188
5.	Parapet Construction	0
6.	Granular Sub-base/Base/Surface 00	2903
	Total Muck	18081

3 Balance material (muck) to be deposited in muck disposal site.(1-2 above) = 2009 Cum,

4 Cost of cartage of balance muck upto dumping site 2009 Cum @ Rs. 55.00/Cum. = Rs. 1,10,495.00

5 Location and capacity of muck dumping yard.
(c) Construction of R.R. dry wall including supply of all materials, labour and T&P etc. required for proper completion of the work as per PWD detailed specification.

Location	Size of dumping yard.	Qty. (in cum)	Type of land	Capacity of dumping yard.
In KM. 1	1x 100x2x1.5	300	State land.	600 Cum.
In KM. 4	1x100x2x1.5	300	State land.	600 Cum
In KM. 6	1x100x2x1.5	300	State land.	600 Cum.
In KM. 8	1x100x2x1.5	300	State land.	600 Cum.
	Total=	1200		2400 Cum.

(d) Total cost of construction of dumping yard 1200 cum @ 330.00 per cum. = Rs. 3,96,000.00

6 Total Cost of muck disposal plan (4 + 5(b) =Rs. 5,06,495.00

7 Dumping site selected in khud side of the proposed motor road. After construction of mtor road plantation will be made by the Forest Department through the provisions of both side plantation fund already deposited by this Department.

Junior Engineer
PD PWD Bageshwar

Assistant Engineer
PD PWD Bageshwar

Executive Engineer
PD PWD Bageshwar

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
बागेश्वर

परियोजना का नामः— राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में लोहारी सिल्ली बन्ड कनस्यारी मोटर मार्ग का निर्माण।

स्वामित्व /अनापत्ति प्रमाण पत्र

राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में लोहारी सिल्ली बन्ड कनस्यारी मोटर मार्ग निर्माण में उत्पादित होने वाले मलवे के निस्तारण हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा उक्त मार्ग के कि0मी0 1, 4, 6 एवं 8 में सड़क के किनारे राज्य सरकार की भूमि मलवा एकत्रीकरण हेतु प्रस्तावित की गयी है। अतः जनहित में सड़क के किनार खड्ड साईड में रिक्त भूमि पर दीवाल लगा कर मलवा एकत्रित करने में राजस्व विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक 12-6-2015

राजस्व उप निरीक्षक

तहसीलदार
गरूड़ बागेश्वर

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
बागेश्वर

प्रपत्र सं०29

(55)

परियोजना का नामः— राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में लोहारी सिल्ली बन्ड कनस्यारी मोटर मार्ग का निर्माण।

:मानक शर्तें:

1. भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके उसके वैधानिक स्थल में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह भी पूर्व की भाँति रक्षित या आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
2. प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा अन्य प्रयोजन हेतु कदापित नहीं।
3. याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
4. भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया गया है कि माँगी गई भूमि न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
5. हस्तान्तरीय विभाग उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायेंगे और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे के भुगतान उक्त विभाग को करना होगा, जिसके यायक विभाग सहमत हैं।
6. भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की देर–रे2ख में करायेगा तथा इस सम्बन्ध में बनाये गये मुनारे आदि की भी देखभाल करेगा।
7. हस्तान्तरण वन भूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तान्तरीय विभाग को कोई आपत्ति नही होंगी।
8. बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्दादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथासम्भव प्रस्तावित न किया जाय। केवल अपरिहार्य करणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ति एवं अन्य जन्तुओं के स्वछन्द विवरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।
9. सिंचाई विभाग/जल निगम द्वारा वन विभाग की नरसरियों पौधों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों की निःशुल्क जल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
10. याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित वन भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा विभाग संस्था या व्यक्ति विशेष की हस्तान्तरित करने पर वन भूमि स्वतः बिना किसी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को वापस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता याचक विभाग को न रहने पर भी हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि स्वतः बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को प्राप्त हो जायेगी।
11. सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर एलाईनमेंट तय होते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श सा0नि0वि0 द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता, सा0नि0वि0 के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, पर्व0 क्षेत्र पौड़ी को सम्बोधित पत्र संख्या 608 सी0 दिनांक 10–2–82 में निहित आदेशों का पालन भी सा0नि0वि0 द्वारा किया जायेगा कि अश्वमार्ग बनाना अथवा वन मार्गो को फेर बदल कर पक्का करना याचक विभाग के खर्च से पर्याप्त न होना और नई सड़क का निर्माण ही आवश्यक है।
12. वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य सम्बन्धित प्रमाण पत्र के आधार पर आंकलित होना जो याचक विभाग को मान्य होगा।
13. वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग उत्तराखंड वन निगम अथवा और कोई उपयुक्त प्रक्रिया जो वन विभाग उचित समझे द्वारा किया जायेगा। यदि किसी कारण से वृक्षों का निस्तान्तरण वन विभाग द्वारा सम्भव न हो सके और उसका पातन आवश्यक हो तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों का बाजार भाव पर मूल्य देय होगा।
14. हस्तान्तरित भूमि पर पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकार में याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा समतुल्य गैर वानिकी भूमि उपलब्ध न होने पर प्रस्तावित भूमि के दुगने गैर वानिकी क्षेत्रफल में वृक्षारोपण तथा 3 वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा तय किया जाय का भुगतान याचक विभाग वन विभाग को करेगा। 1000 मीटर एवं 30 डिग्री से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन भी निषिद्ध है, इसी प्रकार बांज के पेड़ों पर पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही होगा।

15. वन भूमि के ऊपर से विद्युत लाईन ले जाने में यथासम्भव पेड़ों का कटान नहीं किया जायेगा। या खम्मों को ऊँचा करके इसे सुनिश्चित किया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का कटान अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी, जिस पर संरक्षण का अनुमोदन आवश्यक है।

16. यदि नहर आदि निर्माण में भू-संरक्षण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पट्टीयों को पक्का करना अगर आवश्यक समझा जाता है तो ऐसा याचक विभाग स्वयं अपने व्यय से करायेगा।

17. उपरीलिखित मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्टि प्रकरण में कोई अन्य शर्तें लगाई जाती हैं तो याचक विभाग को मान्य होगी।

18. वन भूमि का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाय, जब उच्च शर्तों का पूरा पालन कर लिया जाय अथवा उनका समुचित स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाय।

प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग उत्तराखण्ड शासन तथा भारत सरकार द्वारा लगाई गई शर्तें याचक विभाग को मान्य है।

सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

प्रपत्र सं० 5

(57)

SITE INSPECTION REPORT NOT BELOW THE RANK OF DCF
(For the forest land to be diverted under FCA)

A Proposal has been received by this office from अधिशासी अभियन्ता प्रा०(ख) लो० नि० वि० बागेश्वर Uttarakhand for diversion under FCA-1980 of 1.747 ha. of forest land non foresty purpose. The project envisages the use of forest land for construction of बागेश्वर(गैरे लोहारी खिलली कौड़ा धनसारी मोटर मार्ग.... The site inspection of the land ivolved in the proposal has been done by me on dated... 25-11-2013

On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a RF/ PF/ Un- classed/ Protected forest measuring 1.747 ha.

The reuirement of forest land as proposed by the user agency in col.2 part I is unavoidable and is barest minimum required for the project.

Whether any rare/ endangered/ uique species of flora and funa found in the area. if, so the details there of. No

Whether any protected archeological/ heritage site / defence establishment or any other important monuments is located in the area. if so, the details there of with NOC from competent authority, if required. No

(a) The user agency has not violated the provisions of forest Conservation act 1980 and no work has been started without proper sanction. NO.

(b) It has been found that the user agency has violated the forest congervation act 1980 provisios. A detail report as per para 1.9 of chapter 1. Para C of Hand book of forest Conservation Act 1980 is attached.

Specific recommendation for acceptance of other wise of the proposal.

स्वीकृति की संस्तुति की जाती है।

Place बागेश्वर
Date 25-11-2013

Signature (के० कुमार)
Name......... प्रभागीय वनाधिकारी
Designation...... बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर
Office Seal,

N.B. x State the purpose of which the forest land is proposed to be diverted,
x Out of (a) and (b) tick the option which is applicable and cross the option which is not applicable.

As per letter number 2-2-2000 FC dated 16.10.2000 from Ministry of Environment and Forest, Government of India of Proposal involving less than 40 hectares of forest land, the site inspection report from DCF is required and for proposal involving more than 40 hectares of forest land site inspection from the conservator of forest is required.